

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र :- 16/2009

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|--|------|---|
| 01. सुखाराम पुत्र स्व०श्री बस्ताराम उर्फ बस्तीराम जाति प्रजापत निवासी खेजडली कला तहसील लूणी जोधपुर | | <ol style="list-style-type: none"> बाबुलाल पुत्र स्व. बस्ताराम उर्फ बस्तीराम के का.मु. 1/1 गवरीदेवी पत्नी स्व. बाबतुलाल निवासी ईदगाह के सामने जालोरी गेट, जोधपुर 1/2 श्रीमती कमला पुत्री बाबुलाल पत्नी कानाराम जाति प्रजापत निवासी ढण्ड की ढाणी वायुविहार कॉलानी झालामण्ड जोधपुर 1/3 गोविन्द प्रजापत पुत्र बाबुलाल जाति प्रजापत निवासी 109 ए रामेश्वर नगर बासनी प्रथम फ़ैस 1/4 श्रीमती गीता पुत्री बाबुलाल पत्नी अणदाराम जाति प्रजापत निवासी कबुतरों का चौक तनावड़ा 1/5 अमरलाल पुत्र बाबुलाल पत्नी अणदाराम, जाति प्रजापत निवासी 36 सेलेश नगर झालामण्ड चौराहा झालामण्ड जोधपुर। 1/6 रमेश पुत्र बाबुलाल, जाति प्रजापत निवासी 96 बी वायु विहार झालामण्ड जोधपुर। पुखाराम उर्फ पुखराज पुत्र स्व. श्री बस्ताराम उर्फ बस्तीराम जाति प्रजापत, निवासी ग्राम खेजडली कला, तहसील लूणी जिला जोधपुर। पेमाराम पुत्र बस्ताराम उर्फ बस्तीराम के का.मुकाम 3/1 छोटीदेवी पत्नी पेमाराम निवासी खेजडली कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 3/2 रामुदेवी पुत्री पेमाराम पत्नी किरताराम जाति प्रजापत निवासी धीरजपुरा झालामण्ड जोधपुर। 3/3 जवरीलाल पुत्र पेमाराम, जाति प्रजापत निवासी प्रजापत कॉलोनी झालामण्ड जोधपुर। 3/4 कौशल्या पुत्री पेमाराम पत्नी सुमेर प्रजापत निवासी राणीजी का थान, ढण्ड की ढाणी, झालामण्ड जोधपुर 3/5 कंचन पुत्री पेमाराम पत्नी बीरमाराम जाति प्रजापत निवासी 111 नागेश्वर नगर झालामण्ड चौराहा झालामण्ड जोधपुर। 3/6 भागीरथ पुत्र पेमाराम, जाति प्रजापत निवासी झालामण्ड जोधपुर। छोटूराम पुत्र स्व. श्री बस्ताराम उर्फ बस्तीराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम खेजडली कला, तहसील लूणी जिला जोधपुर। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी। |

वाद बाबत विभाजन कृषि जोत व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

- वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डारा।
- प्रतिवादी संख्या की ओर से अधिवक्ता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

दिनांक :- 14-10-2024

--: आदेश :-

वादी द्वारा एक राजस्व वाद 16/2009 बाबत कृषि जोत का विभाजन, खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम खेजडली कला के खसरा नम्बर 185 रकबा 53 बीघा 16 बिस्वा व ग्राम खेजडली खूर्द के खसरा नम्बर 37/2 रकबा 68 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि हेतु प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी राजीनामा होने जाने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाए जाने का निवेदन किया है।

वाद में प्राथमिक डिकी दिनांक 16.10.2024 को किया जारी किया गया एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र क्रमांक भू.अ. /2025/2616 दिनांक 27.08.2025 को पेश किया गया। वादी का विवादग्रस्त भूमि में नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 30.07.2025 से स्पष्ट) है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 27.08.2025 मय मौका फर्द दिनांक 30.07.2025 को की गई जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार लूणी द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्ननुसार है -

| क्र. सं. | खातेदार विवरण | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टर में | किस्म | लगान |
|----------|--|------------|-----------------|-----------|------|
| 1. | अमरलाल पुत्र बाबूलाल हिस्सा 5/6 गीतादेवी पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार | 185 | 1.7418 | बा. तृतीय | 3.11 |
| 2. | सुखाराम पुत्र बस्ताराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा. देह खातेदार | 185/1 | 1.7417 | बा. तृतीय | 3.12 |
| 3. | पुरखाराम उर्फ पुखराज पुत्र बस्ताराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा. देह खातेदार | 185/2 | 1.7418 | बा. तृतीय | 3.12 |
| 4. | छोटूराम पुत्र बस्ताराम हि. पूर्ण जाति कुम्हार सा. देह खातेदार | 185/3 | 1.7417 | बा. तृतीय | 3.12 |
| 5. | जवरीलाल पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/6 भागीरथ पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/6 रामूदेवी पुत्री पेमाराम हिस्सा 1/6 कंचन पुत्री पेमाराम हिस्सा 1/6 कौशल्या पुत्री पेमाराम हिस्सा 1/6 छोटी देवी पत्नि पेमाराम हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार | 185/4 | 1.7418 | बा. तृतीय | 3.12 |
| 6. | सुखाराम पुत्र बस्ताराम जाति कुम्हार सा. खेजडली कलां खातेदार हिस्सा पूर्ण | 37/2 | 2.2064 | बा. तृतीय | 3.95 |
| 7. | छोटूराम पुत्र बस्ताराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा. खेजडली कलां खातेदार | 37/3 | 2.2064 | बा. तृतीय | 3.95 |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

| | | | | | |
|----|---|------|--------|-----------|------|
| 8. | पुखाराम उर्फ पुखराज पुत्र बस्तीराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा. खेजड़ली खातेदार | 37/4 | 2.2063 | बा. तृतीय | 3.95 |
| 9. | जवरीलाल पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार सा. खेजड़ली कलां हिस्सा 1/6 भागीरथ पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार सा. खेजड़ली कलां कलां हिस्सा 1/6 छोटीदेवी पत्नि पेमाराम जाति कुम्हार सा. खेजड़ली कलां हिस्सा 1/6 कंचन पुत्री पेमाराम जाति कुम्हार सा. खेजड़ली कलां हिस्सा 1/6 कौशल्या पुत्री पेमाराम जाति कुम्हार सा. खेजड़ली कलां हिस्सा 1/6 रामदेवी पुत्री पेमाराम जाति कुम्हार सा. खेजड़ली कलां हिस्सा 1/6 | 37/5 | 2.2063 | बा. तृतीय | 3.95 |
| 10 | रमेश पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/6 गोविन्द्र प्रजापत पुत्र बाबुलाल हिस्सा 1/6 कौशल्या देवी पत्नि अमराराम हिस्सा 1/6 कमला देवी पुत्री बाबुलाल हिस्सा 1/6 गंवरीदेवी पत्नी बाबुलाल हिस्सा 1/6 गीतादेवी पुत्री बाबुलाल हिस्सा 1/6 सभी जाति कुम्हार सा. खेजड़ली कलां खातेदार | 37/6 | 2.2063 | बा. तृतीय | 3.95 |

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारण संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 30.07.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 30.07.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फौसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

(हंसमुख कुमार RAS)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी


डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 16/2009

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|------|--|
| 01.सुखाराम पुत्र स्व०श्री बस्ताराम उर्फ बस्तीराम जाति प्रजापत निवासी खेजडली कला तहसील लूणी जोधपुर | | <ol style="list-style-type: none"> बाबुलाल पुत्र स्व. बस्ताराम उर्फ बस्तीराम के का.मु. 1/1 गवरीदेवी पत्नी स्व. बाबतुलाल निवासी ईदगाह के सामने जालोरी गेट, जोधपुर 1/2 श्रीमती कमला पुत्री बाबुलाल पत्नी कानाराम जाति प्रजापत निवासी ढण्ड की ढाणी वायुविहा कॉलानी झालामण्ड जोधपुर 1/3 गोविन्द प्रजापत पुत्र बाबुलाल जाति प्रजापत निवासी 109 ए रामेश्वर नगर बासनी प्रथम फ़ैस 1/4 श्रीमती गीता पुत्री बाबुलाल पत्नी अणदाराम जाति प्रजापत निवासी कबुतरों का चौक तनावड़ा 1/5 अमरलाल पुत्र बाबुलाल पत्नी अणदाराम, जाति प्रजापत निवासी 36 सेलेश नगर झालामण्ड चौराहा झालामण्ड जोधपुर। 1/6 रमेश पुत्र बाबुलाल, जाति प्रजापत निवासी 96 बी वायु विहार झालामण्ड जोधपुर। पुखाराम उर्फ पुखराज पुत्र स्व. श्री बस्ताराम उर्फ बस्तीराम जाति प्रजापत, निवासी ग्राम खेजडली कला, तहसील लूणी जिला जोधपुर। पेमाराम पुत्र बस्ताराम उर्फ बस्तीराम के का.मुकाम 3/1 छोटीदेवी पत्नी पेमाराम निवासी खेजडली कल्ला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 3/2 रामुदेवी पुत्री पेमाराम पत्नी किरताराम जाति प्रजापत निवासी धीरजपुरा झालामण्ड जोधपुर। 3/3 जवरीलाल पुत्र पेमाराम, जाति प्रजापत निवासी प्रजापत कॉलोनी झालामण्ड जोधपुर। 3/4 कौशलया पुत्री पेमाराम पत्नी सुमेर प्रजापत निवासी राणीजी का थान, ढण्ड की ढाणी, झालामण्ड जोधपुर 3/5 कंचन पुत्री पेमाराम पत्नी बीरमाराम जाति प्रजापत निवासी 111 नागेश्वर नगर झालामण्ड चौराहा झालामण्ड जोधपुर। 3/6 भागीरथ पुत्र पेमाराम, जाति प्रजापत निवासी झालामण्ड जोधपुर। छोटूराम पुत्र स्व. श्री बस्ताराम उर्फ बस्तीराम जाति प्रजापत निवासी ग्राम खेजडली कला, तहसील लूणी जिला जोधपुर। |



अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 16/2009 यह आज मुझे इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 30.07.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अगल वशगत करे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम इन्द्राज करे।

नीज..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे को गय
सूद व वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयावी तक.....
..... को अदा करें।

बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 14-10-25 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

| मुद्दाई | रूपया | पै. | मुद्दायलाह | रूपया | पै. |
|--|-------|-----|---|-------|-----|
| स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान | | | स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान | | |



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी